

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 309 / 2015

दायर दिनांक 09.09.2015

माधु	उनवान	नानूराम
	बनाम	

वाद अन्तर्गत धारा 88,89,188 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 03.03.2020

—:निर्णय:—

पतरावली पेश हुई जिसमें वकिल वादी हाजिर होकर आदेशिका पर नोट प्रैस अंकित कर कार्यवाही नहीं चाही है पतरावली में इसी स्तर पर कार्यवाई ड्राप की जाती है अत-पतरावली फैसल होकर नम्बर से कम है



(विनोद कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
भूपालसागर

